

कार्यालय नगर पंचायत, रामपुर कारखाना, देवरिया।

पत्रांक /नि०/को० सूचना-2014-15

दिनांक 08 जुलाई 2014

अल्प कालिक निविदा/कोटेशन सूचना

अधोहस्ताक्षरी द्वारा राज्य वित्त आयोग द्वारा प्राप्त धनराशि से नगर पंचायत रामपुर कारखाना देवरिया में निर्माण कार्य व स्वागत गेट की स्थापना कार्य हेतु नगर पालिका परिषद /लो०नि०वि०/आर०ई०एस०/जिला पंचायत तथा पंजीकृत फर्मो से जो वर्ष 2014-15 के पंजीकृत एवं नवीनीकृत हों, टेकेंदारों/पंजीकृत फर्मो से दिनांक 15-07-2014 को दिन में अपराह्न 3.00 बजे तक मुहरबन्द निविदा/कोटेशन जिलाधिकारी कार्यालय देवरिया के एल०बी०सी०/टी०ए०सी० पटल पर आमंत्रित की जाती है। जो उसी दिन प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय/अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०) द्वारा उपस्थित निविदादाताओं/कोटेशनदाताओं के समक्ष जिलाधिकारी कार्यालय देवरिया में अपराह्न 4.00 बजे खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र जिलाधिकारी कार्यालय देवरिया के एल०बी०सी० पटल / नगर पंचायत रामपुर कारखाना कार्यालय से निर्धारित शुल्क जमा कर दिनांक 14-07-2014 को समय 11.00 बजे से 3.00 बजे तक प्राप्त किया जा सकता है। निविदा के साथ अग्रिम जमानत के रूप में 10 प्रतिशत धनराशि/एन०एस०सी०/कं०वी०पी०/एफ०डी०आर० आदि जो अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत रामपुर कारखाना के पद नाम से बन्धक हो, संलग्न कर उसका निविदा पर उल्लेख करना अनिवार्य होगा। अन्य नियम व शर्तों की विस्तृत जानकारी किसी भी कार्य दिवस में नगर पंचायत कार्यालय से की जा सकती है। इस विज्ञापन को वेबसाइट WWW.Deoria.NIC.Com पर भी देखा जा सकता है।

क्र० सं०	कार्य का विवरण	आगमन धनराशि	जमानत धनराशि	निविदा प्रपत्र मूल्य	कार्य अवधि
1	मन्नु लाल चौराह से ठाकुर मंदिर होते हुये पाण्डेय चक मोड़ तक सी०सी० रोड रिपेयर कार्य वार्ड नं०-10+5	17,77,300-00	1,77,730-00	1800-00	दो माह
2	मोहन मद्देशिया के घर से मुन्ना चौहान के मकान तक नाली व इण्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य वार्ड नं०-5	8,63,700-00	86,370-00	700-00	एक माह
3	रामपुर कारखाना सुभाष चौक से बहरामपुर मोड़ तक सड़क सुधार एवं डाइवर्जन कार्य।	46,66,600-00	4,66,660-00	4700-00	तीन माह
4	राम सुरत सिंह के घर से बड़ी नहर तक नाली निर्माण कार्य। वार्ड सं०-04	4,95,200-00	49,520-00	500-00	एक माह
5	स्वागत गेट का अधिष्ठापन कार्य Solid waste Equi Prient & radium Refektorfoqrd Welcome gate (30 फुट) दो अदद। 1- रामपुर कारखाना से कसया रोड पर 2- रामपुर कारखाना से देवरिया रोड पर	8,11,176-00 प्रति	81,118-00	800-00	एक माह
6	15 साफाई मजदूरों की आपूर्ति		5000-00	100-00	20-07-2014

नियम एवं शर्त :-

- 1- निविदादाता/कोटेशनदाता को जमानत की 10 प्रतिशत धनराशि निविदा/कोटेशन प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा, जिसमें किसान विकास पत्र, एन०एस०सी०,एफ० डी० आर० अथवा नकद अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत रामपुर कारखाना के पदनाम से प्लेज हो, जमा करना होगा। सामग्री आपूर्ति हेतु टेण्डर स्वीकृत होने के पश्चात् नियमानुसार जमानत धनराशि जमा करना होगा।
- 2- एक या समस्त निविदाओं/कोटेशनदाता को बिना कारण बताये स्वीकृत/अस्वीकृत करने का सक्षम अधिकारी/अधोहस्ताक्षरी में निहित होगा।
- 3- निविदादाता/कोटेशनदाता अनिवार्य रूप से अपना अद्यतन जिलाधिकारी देवरिया से प्राप्त चरित्र, हैसियत प्रमाण प्रमाण पत्र तथा पंजीयन प्रमाण पत्र निविदा के साथ संलग्न करना होगा, अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

- 4- निविदा/कोटेशन स्वीकृति के एक सप्ताह के अन्दर ठेकेदार को नियमानुसार कार्य सम्बन्ध में स्टाम्प एक्ट के अनुसार अपने व्यय से कोषागार से स्टाम्प क्रय कर अनुबन्ध/एकरारनामा अनिवार्य रूप से लिखना होगा।
- 5- ठेकेदार को निर्माण कार्य नियत समय के अन्दर पूर्ण करना होगा, अन्यथा 100-00 रुपये प्रति हजार प्रति दिन की दर से ठेकेदार को विलम्ब शुल्क देना होगा, अर्थात् ठेकेदार के विल से उक्त विलम्ब शुल्क/जुर्माना की धनराशि काट ली जायेगी।
- 6- 100-00 (एक सौ रुपये) के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र तैयार कर किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा अपना पासपोर्ट साईज का फोटो प्रमाणित करा कर निविदा/कोटेशन प्रपत्र के साथ संलग्न करना होगा।
- 7- निविदा/कोटेशन के समय विवाद की दशा में अध्यक्ष नगर पंचायत रामपुर कारखाना का ही निर्णय मान्य होगा।
- 8- किसी भी फर्म/निविदादाता/कोटेशनदाता द्वारा या उसके सहयोगी द्वारा किसी प्रकार का व्यवधान डालने जैसे अभद्रता, दुर्व्यवहार आदि करने पर सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार को काली सूची में करते हुये प्रथम सूचना सम्बन्धित थाना में अंकित कराया जायेगा।
- 9- ठेकेदार/फर्म को आगणन के अनुसार कार्य करना होगा, किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर निविदा निरस्त कर दिया जायेगा।
- 10- किसी भी प्रकार का (कार्य स्थल) विवाद उत्पन्न होने पर जिला प्रशासन/नगर पंचायत द्वारा दिये गये आदेशों/निर्देशों का पालन ठेकेदार को करना होगा।
- 11- ठेकेदार को निविदा स्वीकृति के पश्चात कार्यादेश प्राप्त होने पर एक सप्ताह के अन्दर समस्त औपचारिकताओं को पूरा करते हुये कार्य करना होगा। अन्यथा ठेका निरस्त करते हुये जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
- 12- जमानत की धनराशि छः माह के पश्चात यदि कार्य सन्तोष जनक पाया गया तो वापस कर दी जायेगी।
- 13- निविदादाता/कोटेशनदाता को अपने निविदा में स्पष्ट रूप से कम या अधिक प्रतिशत में देनी होगी। मदवार अलग अलग निविदा में दरें मान्य होगी।
- 14- उपरोक्त निर्माण कार्य का मदवार अलग-अलग निविदा मान्य होगी।
- 15- कार्य में घट बढ़ होने पर अलग से कोई क्षति पूर्ति देय नहीं होगी।
- 16- शेष जानकारी किसी भी दिन कार्य दिवस में कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।
- 17- आयकर ब्यापार कर की कटौती निकाय द्वारा की जायेगी। और किसी प्रकार का बैट का भुगतान निकाय स्तर से नहीं किया जायेगा।
- 18- निविदादाता/कोटेशनदाता को निर्धारित समय के अन्दर कार्य/आपूर्ति करना होगा। यदि निर्धारित अवधि के अन्दर कार्य/आपूर्ति न करने की दशा में 500-00 प्रति दिन दण्ड देना होगा।
- 19- निविदा सूचना देवरिया की वेबसाईट W.W.W.NIC Deoria. In. पर भी देखा जा सकता है।

अधिशारी अधिकारी

नगर पंचायत रामपुर कारखाना
देवरिया।

अध्यक्ष

नगर पंचायत रामपुर कारखाना
देवरिया।

पत्रांक 1008/दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि:-

- 1- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित।
- 2- जिलाधिकारी महोदय, देवरिया।
- 3- प्रमारी अधिकारी स्थानीय निकाय, देवरिया को इस आशय से प्रेषित की उक्त अल्पकालिक निविदा को अपने स्तर से वेबसाईट W.W.W.NIC Deoria. In. पर अपलोड करने का कष्ट करें।
- 4- उप जिलाधिकारी सदर, देवरिया।
- 5- मा0 समस्त अधिशारी अधिशारी गण नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत जनपद देवरिया।
- 6- नोटिस बोर्ड पर चरपा हेतु।
- 7- सम्पादक **स्वतंत्र भारत** को इस आशय से प्रेषित की अपने समाचार पत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अधिशारी अधिकारी

नगर पंचायत रामपुर कारखाना
देवरिया।

राष्ट्रिय
अध्यक्ष
राष्ट्रिय देवी
नगर पंचायत रामपुर कारखाना
नगर पंचायत देवरिया कारखाना
जनपद - देवरिया